रजिस्ट्री सं. डी. एल. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1986/श्रावण 31, 1908
No. 341] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1986/SRAVANA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1986

आयकर

का. आ. 501(अ).—आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (16क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(i) मैसर्स नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए सात वर्षीय "14 प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय बंधपत्र (ए-सिरीज)",

(ii) मैसर्स नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए सात वर्षीय "14 प्रतिशत प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय बंधपत्र"।

[फा. सं. 328/82/86-वनकर]

ए. के. फोतेदार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1986

WEALTH-TAX

S.O. 501 (E) .—In exercise of the powers conferred by clause (xvie) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies the following debentures for the purposes of that clause, namely :—

(1) 7-Year "14 per cent Secured Redeemable Non-Convertible Bonds ('A'-Series)" issued by M|s. National Hydroelectric Power Corporation Limited ;

(2) 7-Year "14 per cent Secured Redeemable Non-Convertible Bonds" issued by M|s Neyveli Lignite Corporation Limited.

[F. No. 328|82|86-WT]

A. K. FOTEDAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986